Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.gisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2023 GISRRJ | Volume 6 | Issue 6 | ISSN : 2582-0095

गाजीपुर जिलों में कृषि की अभिनव प्रवृत्तियों का विकास

अनुज कुमार सिंह
शोध छात्र, भूगोल , आर0आर0पी0 कालेज अमेठी, (डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय)

Article Info
Volume 6, Issue 6
Page Number : 107-113
Publication Issue :
November-December-2023
Article History
Accepted : 10 Dec 2023
Published : 30 Dec 2023

सारांश – कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्त्रोत रहा है। पिछले छः दशकों के दौरान कृषि और आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय विवरण में बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों के बावजूद भारत में श्रमिक बल के बहुत बड़े भाग की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि रहा है, इसलिए कृषि की सामग्री निति में महत्तवपूर्ण सेक्टर माना जाता है। यह अनुमान लगाया है कि कृषि द्वारा उत्पन्न किये गए प्रत्येक अतिरिक्त रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक कार्यों से आय में तीन अन्य अतिरिक्त रुपए जुड़ते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था (जैसे उद्दोग, परिवहन, बैंकिंग आदि) के बहुत से दुसरे और तीसरे सेक्टरों को इसके गुणक प्रभावित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के कुल लक्ष्य में कृषि सेक्टर के सापेक्ष महत्तव में पिछले छह दशकों में स्पष्ठ गिरावट दिखाई है। अर्थव्यवस्था दोहरे अंकों में संवृद्धि के लिए कृषि में न्यूनतम की संवृद्धि अत्यावश्यक मानी जा रही है । यदि ऐसा है तो हमें कृषि विकास के लिए आवश्यक शर्तें जाननाआवश्यक हो जाता है, दूसरी और खाद्दान्नो की आवश्यकता जनसंख्या वृद्धि बदलती हुई रुचियों और उन्नत आय स्तरों के कारण तथा भूमंडलीय आर्थिक परिदृश्य को नियंत्रित करने वाले कारकों के कारण निरंतर बढ़ रही है, यद्दपि यह तर्क दिया जा सकता है के देश के अन्दर कृषि उत्पादों को पैदा करना वैश्वीकरण के युग में इतना महत्तवपूर्ण नहीं है, किन्तु भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ जनसँख्या का बहुत बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए निर्वाही कृषि पर निर्भर रहता है वहां निति गत उपायों (जैसे ऋण आपूर्ति, विस्तार सेवाओं) द्वारा कृषि उत्पादों की सहायता करना आवश्यक है। कृषि कार्यों की वाणिज्यक व्यावहारिकता ने वैश्विककृत अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्तव धारण कर लिया किया है ।

मुख्य शब्द- इष्टतम, उपयोग, मत्स्य पालन , खाद्द्य सुरक्षा , गरीबी उन्मूलन , भूमंडलीय कारण , प्रोद्योगिकरण ,फसल विविधिकरण।

सामान्य परिचय- जमदग्नि ऋषि की जन्म भूमि परशुराम की कर्म भूमि विश्वामित्र की तपो भूमि, नल दमयंती की अमर गाथा की पृष्ठ भूमि एवं अब्दुल हमीद की जन्मस्थली के रूप में विख्यात, भौतिक एवं सांस्कृतिक विरासत की धनी किन्तु आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ा गाजीपुर जनपद का अक्षांशीय विस्तार 25 19 उत्तरी अक्षांश से 25 54 उत्तरी अक्षांश तक एवम् देशान्तरीय विस्तार 83 04 पूर्वी देशांतर से 83 58 पूर्वी देशांतर का मध्य है । गाजीपुर की पूरब से पश्चिम अधिकतम लम्बाई 89 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

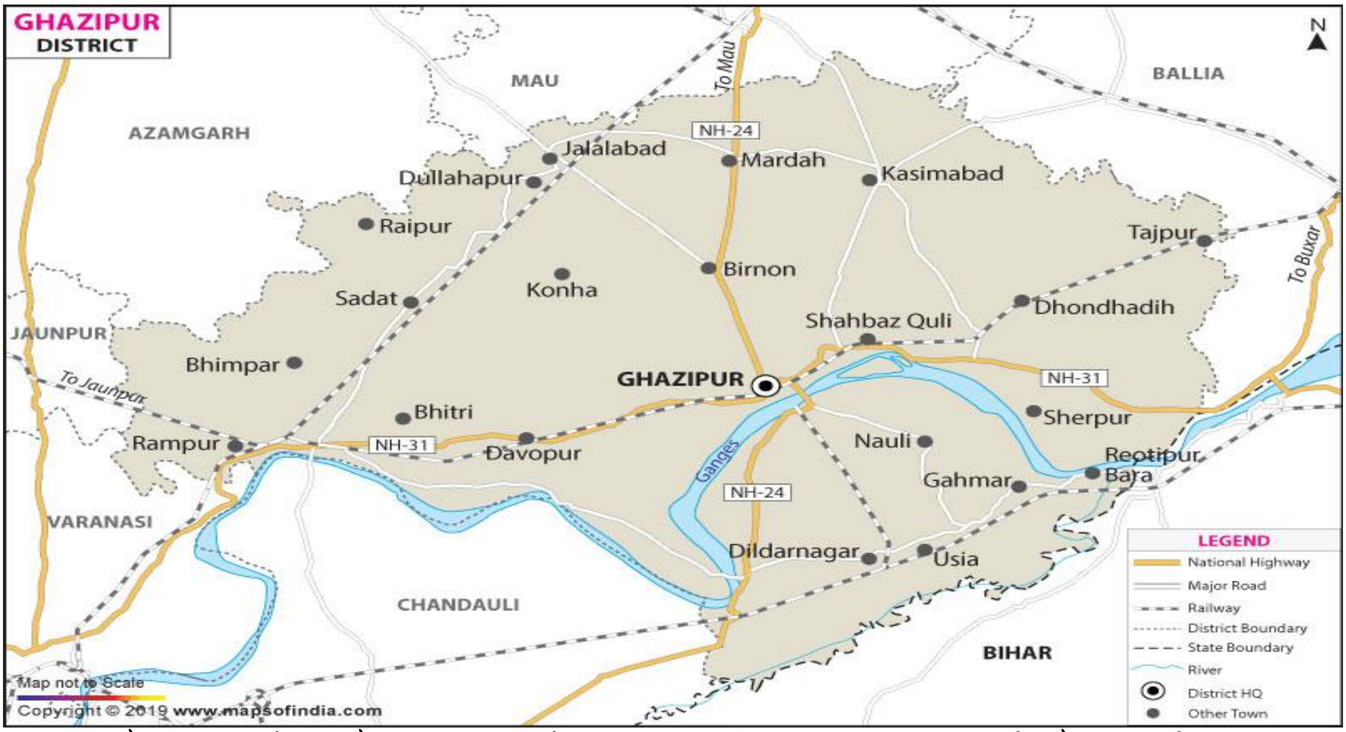

अधिकतम चौड़ाई 59 किलोमीटर है जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 3381 वर्ग किमी तथा समुन्द्र ताल से औसत रूप से 62 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ।

गाजीपुर जनपद के पूर्व एवं उत्तर पूर्व में बलिया, दक्षिण पूर्व में बिहार प्रान्त, पश्चिम में जौनपुर वाराणसी व उत्तर पश्चिम में आजमगढ़ तथा उत्तर में मऊ और दक्षिण में चंदौली जनपद है । जनपद में प्रवाहीत होने वाली नदियाँ, गंगा, कर्मनाशा तथा गोमती जो जनपद की भौगोलिक सीमा बनती है ।

प्रशासनीक दृष्टि से वाराणसी मंडल का गाजीपुर जनपद उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। गाजीपुर में कुल छह तहसीलें क्रमशः गाजीपुर (664.92 वर्ग कि0मी0) सैदपुर तहसील (579.75 वर्ग कि0मी0) मुहमदाबाद तहसील (585. 45 वर्ग कि0मी0) और जखनिया तहसील (517.73 वर्ग कि0मी0) जमानियां तहसील (771.25 वर्ग किलोमीटर है जिससे अलग हो कर सेवराई नवीन तहसील बनी है। गाजीपुर जनपद में 193 न्याय पंचायत एवं 1046 ग्राम सभाएं है।

गाजीपुर जनपद गंगा घटी का एक अतिविशिष्ट भाग है। इस क्षेत्र में नवीन एवं प्राचीन तलछटीय जमाओं धरातल की विशिष्टता को प्रकट करता है । गंगा मैदान की संरचना जलोढ़ होते हुये भी धरातलीय दृष्टि से सर्वत्र एक सामान नहीं है, क्योंकि जलोढ़ जमाव की परिस्तिथियों भिन्न - भिन्न क्षेत्रों में भिन्न - भिन्न रही है । संरचना की दृष्टि से इस क्षेत्र को खादर एवं बांगर दो क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है । खादर में नूतन गधा एवं रेट के संस्तर तथा बांगर क्षेत्रों में प्राचीन जलोढ़ का जमाव है। बांगर जलोढ़ के निचले संस्तर में कुछ स्थानों पर चुना निर्मित कंकण के पत्थर मिलते है ।

शोध परिकल्पना :-कृषि एवं अर्थव्यवस्था एक दुसरे के पूरक है ।

अनुकूलतम भूमि उपयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन संभव है ।

वैज्ञानिक कृषि में नवा चारों का प्रयोग कृषि को प्रबल बनता है ।

अध्यन क्षेत्र में कृषि विकास से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।

अध्यनविधि एवं आकड़ों का एकत्रीकरण:- प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रोतों से किया गया है द्वितीय आकड़ों को प्राप्त करने हेतु जिला गजेटियर सांख्यकी पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है इसके अलावा अन्य श्रोतों में गूगल की सहायता लिया गया है ।

आर्थिक विकाश :- आर्थिक विकाश में कृषि की भूमिका फिजियोक्रेट्स या प्रकृतितंत्रवादी (अर्थात अंग्रेज क्लासिक आर्थिक सिद्धांत वादियों से पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री के वर्ग) के समय से ही स्वीकार की गयी है। फिजियोक्रेट्स के अनुसार यह केवल कृषि सेक्टर था जिसमे उत्पादन लगत से अधिक आर्थिक अधिशेष उत्पादित किया। वे इस दृष्टि से विनिर्माण और वाणिज्य को अनुत्पादनकारी समझते थे कि इन सेक्टरों द्वारा प्रयुक्त कच्चे मॉल के मूल्य में वृद्धि उत्पादन कि प्रक्रिया में प्रयुक्त श्रम और पूंजी का भुगतान करने के लिए ही पर्याप्त है। इस दृष्टि से फिजियोक्रेट्स ने कृषि को आर्थिक विकास में सबसे अधिक प्रभावशाली समझा । अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के दौरान प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी आर्थिक विकास में कृषि क महत्व स्वीकार किया किन्तु उसकी वृद्धि को उन्होंने उद्दोग की वृद्धि से यथाविधि जोड़कर ही देखा। उदहारण के लिए एडम स्मिथ के बुनियादी संवृद्धि प्रतिमान ने समग्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक गैर कृषि उत्पादन की सहायता करने के लिए कृषि अधिशेष के उत्पादन पर विचार किया। परन्तु उन्होंने आर्थिक वृद्धि को कृषि के विकास पर अप्रत्यक्ष रूप आश्रित माना, क्योंकि आर्थिक संक्रमण काल प्रारंभिक अवस्था में अधिकांश अर्थ व्यस्थाएं (विशेष कर कृषि से विकसित हो रही अर्थ व्यस्थाएं) अपने अधिकांश श्रमिक बल के भरण पोषण के लिए कृषि निर्भर होंगी कोई भी कल्पना कर सकता है कि आधुनिक समय में भी जब बहुत से देशों में खादद्य सामग्री के लिए दंगे देखे गए हैं, विश्व व्यापी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां पर्याप्त उत्पादन करने के सम्बन्ध में कृषि का महत्त्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अभिनव प्रवृत्तियां एवं क्षेत्रीय कृषि - फसल विवाधिकरण कुछ राष्ट्रिय समस्याओं के समाधान करने सहायक हो सकता है जैसे . गरीबी उन्मूलन, और खादद्य सुरक्षा और वहनीय कृषि विकास। यह कृषि नियोजन के लिए क्षेत्रानुसार उपयुक्त नीतियों पर ध्यान केन्द्रित कर संतुलित क्षेत्रीय विकास में भी सहायक हो सकता है। वस्तुत: पिछले 6 दशकों कि उपलब्धियां इसी बात कि पुष्ठी कर रही है।

गरीबी उन्मूलन और खादद्य सुरक्षा - स्वातंत्र्योतर अवधि में लगभग 2 .7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दार से कृषि संवृद्धि 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में 0.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष कि नगण्य वृद्धि से बहुत अधिक थी । यह संवृद्धि ने केवल खाद्यान उत्पादन के क्षेत्र में थी बल्कि वाणिज्यिक फसलों जैसे कपास, तिलहन, गन्ना और सब्जियों के तथा पशुधन उत्पाद और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी थी। हमने स्वतंत्रता के बाद ये महत्तवपूर्ण वृद्धियां प्राप्त कि। इस उपलब्धि ने गरीबी कम करने में महत्तवपूर्ण योगदान किया। उदहारण के लिए गरीबी का प्रभाव 1973.74 में 54.9 प्रतिशत से घटकर 2004.05 में 27.50 प्रतिशत (अर्थात ठीक आधा या 50 प्रतिशत रह गया। इस लिए वर्तमान सरकार की शासन व्यवस्था के राष्ट्रीय विषय सूची ने अगले दस वर्षों में खाद्द उत्पादन दोगुना करने को प्राथमिकता दी इसमें चावल गेहूं , मोटा अनाज , दलहन, तिलहन, चीनी, फल,और सब्जियां गोश्त , दूध, और मछली शामिल है। इस कार्य योजना ने समस्याओं के समाधान की रणनीति बनाई ताकि विभिन्न खाद्द वस्तुओं की आपूर्ति में ऐसी पर्याप्त वृद्धि प्राप्त हो सके कि समस्त जनसंख्याओं के लिए ऐसी वस्तुओं की मांग न केवल पूरी हो सके बल्कि निर्यात के लिए अधिशेष भी उपलब्ध रह सके। मध्यम अवधी में अनुसरण की जाने वाली विकास रणनीति में देश की खाद्द सुरक्षा समस्या को सावधानी के साथ जोड़ा गया है। यदि राष्ट्रिय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखे बिना पूरी तरह से बाजार चलीत विविधिकरण होता है तो खाद्द सुरक्षा के लिए संकट पैदा होने की संभावना हो सकती थी। उदहारण के लिए खाद्द फसलों से वाणिज्यिक फसलों जैसे जैव डीजल के लिए " जैत्रोपा " में अंतरण खाद्द सुरक्षा को अस्त , व्यस्त कर सकता है। इसलिए कृषि विवाधिकरण में सावधानी बरती जानी चाहिए।

धारणीय कृषि विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन – यह सुविदित तथ्य है कि निवल बोआई क्षेत्रफल 142 मिली हेक्टेयर का आगे विस्तार करने की गुंजाइश बहुत कम है और भूमि दुर्लभता ग्रामीण अर्थव्यवस्था का गंभीर लक्षण होने वाला है। जल बहुमूल्य प्राकृतिक परिसंपत्ति है और देश में जलसंसाधनों की कई समस्याएँ है । इसलिए भूमि और जल संसाधनो का विवेकपूर्ण उपयोग कृषि संवृद्धि की स्थिरता के लिए मुख्य विषय होगा। हल ही के वर्षों में अनुपयुक्त प्रबंधन और प्रदुषण के कारन मृदा और जल संसाधनों की बिगड़ती हुई दशाओं के बारे में चिंता बढ़ रही है। भूमि का अपकर्ष जल प्लावन और भूजल स्तर में हास के रूप में हुआ है। पदक पोषक , रसायनिक दवाओं और समग्र प्रदुषण समस्यायों से निपटने के लिए प्रभावकारी उपाय करने में एकीकृत

दृष्टिकोण अपनाना अधिक आवश्यक है। कृषि में रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम करने के लिए कई संभव प्रौद्योगिकीयों और विकल्प है। ये विकल रासायनिक दवाओं के पूर्ण प्रतिस्थापित नहीं है परन्तु इन्हें अपनाने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव काफी घट सकते है। उपयुक्त भूमि और जल प्रबंधन नीतियाँ पर्यावरण निम्नीकरण कम कर सकती है। समुदाय और ग्राम संस्थाओं को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।इसी दृष्टि से भूमि और जल संसाधनों के पुनर्जनन के कार्यक्रम सुदृढ करने होंगे ।

कृषि योजना के लिए क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण - कृषि योजना के नए दृष्टिकोण –कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना पर 1988 में कार्य आरंभ हुआ। यह एक सकल दृष्टिकोण था जो स्पष्ट रूप से स्थानीय संसाधनों की उपलब्धता और कृषि जलवायुवीय समरूप होने कठिनाई की स्वीकृति है। संसाधन आधार और विकेंद्रीकृत योजना के बिच सेतु है जिसका उद्देश्य बुनियादी संसाधनों और स्थानीय आवश्यकताओं को उचित ध्यान में रखकर स्थिरता प्राप्त करने के लिए योजना को वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। यह परियोजना देश को 15 क्षेत्रों / जोनों में विभक्त कर शुरू की गयी थी । बाद में इसे 73 उपक्षेत्रों में विभक्त किया गया। इस उपक्षेत्रीय विभाजन के लिए प्रयुक्त सिद्धांत कृषि अर्थव्यवस्था के लक्षणों मृदा ,जलवायु वर्षा आदि से सम्बन्ध है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कृषि विवाधिकरण के माध्यम से गरीबी उन्मूलन खाद्द सुरक्षा धारणीय / संतुलित क्षेत्रीय प्रगति जैसे कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर विगत में भिन्न-भिन्न क्या उपाय किये गए ,और अभी क्या किया जा रहा है ।

फसल विविधिकरण : संरोध और सम्भावनायें - फसल विवाधिकरण से हाल ही के वर्षों में फल और सब्जियां सहित वाणिज्यक फसलों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। इसने पिछली दशाब्दी में अधिक गति प्राप्त की और सब्जियों और फलों के अधीन क्षेत्रफल अधिक बढ़ा और कुछ सीमा तक वाणिज्यक फसलों जैसे गन्ना, कपास और तिलहन में भी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। फसल विवाधिकरण में मुख्य समस्याओं और संरोधो के प्रभावों के अनेक स्तर है। ये मुख्यतया निम्नलिखित है :

- देश में फसल के क्षेत्रफल का 117 मिलियन हेक्टेयर से अधिक (63 प्रतिशत) पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है ,
- संसाधनों जैसे भूमि और जल का अल्प इष्टतम और अति उपयोग ने पर्यावरण और कृषि कि धरणीयता पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किये है ,
- उन्नत किस्मों के बीजों और पादपों की अपर्याप्त आपूर्ति .
- भू जोतों के विखंडन के भी आधुनिकरण और कृषि यंत्रीकरण पर विपरीत प्रभाव रहे है ,
- घटिया बुनियादी आधारभूत संरचना जैसे ग्रामीण सड़के , बिजली, परिवहन, संचार आदि ,
- अपर्याप्त कटाईपश्च प्रोद्धोगिकियों और विनाशी बागवानी उत्पादों के लिए कटाईपश्च अपर्याप्त आधारभुत संरचना,
- दुर्बल कृषि आधारित उद्द्योग,
- दुर्बल अनुशंधान , विस्तार और किसान अनुवर्धन ,
- किसानों में निरंतर और बहुत बड़ी संख्यां में निरक्षरता , अपर्याप्त रूप में प्रशिक्षित संसाधन ,
- फसल पादपों को प्रभावित करने वाले रोगों और कीटों की बहुतायत ,
- बागवानी फसलों के लिए घटिया जानकारी आधार ,
- पिछलें वर्षों के दौरान कृषि में कम निवेश

WTO के आगमन से कृषि सेक्टर का परिदृश्य बदल गया है और आगे बहुत अधिक परिवर्तन होगा। व्यापार उदारीकरण और भिन्न-भिन्न देशों के बिच कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुलभता ने अधिक सुदृढ विविधिकृत कृषि का संवर्धन अनिवार्य कर दिया है। परन्तु व्यापार और विविधिकरण की कुछ सीमाएं हैं। जिन फसलों के लिए (विशेषकर खाद्दान्न) हमारे पर्याप्त क्षेत्र और उत्पादन

उत्पादकता बढाकर आयात बाज़ार से सुरक्षित रखना होगा । इसमें हमें एक प्रकार का तुलनात्मक लाभ रहेगा और विशाल मात्रा में आयात से बचकर किसानों के हितों को संरक्षित किया जा सके । जो फसलें परम्परागत रूप से निर्यात की जाती है जैसे बासमती चावल और गर्म मसाले, तथा अन्य मसाले, उन्हें भी क्षेत्रफल विस्तार और गुणवत्ता सुधर के अनुसार सहायता देने की आवश्यकता है। दोनों उत्पादनों के लिए अधिक अवसरों और कटाईपश्च प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करना आवश्यक है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में त्वरित वृद्धि भी देश की जनसँख्या के उन्नत पोषण के लिए अपेक्षित है। बढ़ी हुई क्रय शक्ति के साथ उन्नत रहन सहन स्तर से अधिकाधिक लोग पोषणिक (nutritional) और गुणवत्ता के लिए प्रयास करेंगे , जिसके लिए अधिक फसल विवाधिकरण आवश्यक है। पादपरोपण फसलें कुक्कट पालन डेयरी . चीनी, कपास और तिलहन जिनमे भारत ने अपना स्थान बनाया है) इसी वर्ग में सम्मिलित है। कुछ ऐसे भी है जिनमे उनकी उभरती हुई शक्ति स्पष्ट हो रही है जैसे रेशम उद्योग समुद्री और स्थलीय मत्स्य पालन। कोई भी देश फलों, सब्जियों और पुष्पों की इतनी व्यापक श्रेणी और प्रचुरता में नहीं उगता है जितना भारत पैदा करता है और फिर भी बागवानी उत्पादों के निर्यात में कोई उल्लेखनीय सुधर नहीं है। प्रसंस्कृत समृद्ध किस्मो को तभी बाजार में लाकर इन वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक भारत है, अपने लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रख सकते है।

उभरती हुई प्रौद्योगिकी और फसल विवधिकरण :- इक्कीसवीं सताब्दी की कृषि वर्धमान रूप से किसानों के उद्दम पर निर्भर होगी। इसके लिए भूमि और उसमे किये गए निवेश से लाभ इष्टतम करने के लिए प्रौद्योगिकी को काम में लाना आवश्यक है। जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजिनियरी से उत्पादकता और गुणवत्ता पर मुख्य रूप से संकेन्द्रण के साथ बहुत महत्तवपूर्ण फसलों / पादपों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलने की आशा की जाती है । उभरती हुई प्रौद्योगिकी के आगमन से और बढे हुये आर्थिक लाभ के परिणाम की सम्भावना से ऐसी फसलों का सक्षम विवाधिकरण भावी संभव हो सकता है। बहुत सी अन्य सम्बंधित प्रौद्योगिकी और उनका अंगीकरण भी फसल विविधिकरण में अधिक आयाम जोड़ेगा। निर्णय सहायता प्राणलियां सरकारी नीतियाँ भौगोलिक सुचना प्रणाली बाजार सुचना सुचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग आदी भी मुख्य रूप से आर्थिक आधार पर फसलों के विविधिकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

फसल विविधिकरण के लिए अनुसंधान और विकास सहायता- भावी कृषि प्रचुर ज्ञान और दक्षता अधरित होगी भूमंडलीकरण और बाजारों के खुलने से कृषि में उद्दयमिता विकास के लिए अवसर अधिक होंगे। इसके लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में प्रतिमान अंतरण और सफल कृषि विविधिकरण के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण भी आवश्यक है। अनुसंधान व्यवस्था को न केवल उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतर्क होना होगा बल्की दक्षताओं और मानव संसाधन विकास के लगातार उन्नयन द्वारा वैज्ञानिको का संवर्ग भी बनाना होगा। प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना आवश्यक है इसके लिए विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण और निपुणता देना भी आवश्यक है ताकि वे किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कर सकें। ज्ञान आधारित कृषि के लिए अनुसंधान कर्ताओं विस्तार कर्मीयों और किसानों के बीच अधिक से अधिक पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक होगी। नवाचारी प्रौद्योगिकी के फलस्वरुप जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुँचने चाहिए और यथा संभव न्यूनतम समय में उनका व्यापक विस्तार होना चाहिए।

फसल विविधिकरण के संस्थागत और आधारभूत संरचना विकास- फसल विविधिकरण को धारणीय और क्रियाशील रखने के लिए देश भी वर्षा पर निर्भर दो तिहाई कृषित क्षेत्रफल के लिए संस्थागत सहायता आवश्यक है। वर्षा प्रधान खेती के किसानों को जोखिम कम करने के लिए फसल विविधिकरण भारत जैसे देश के लिए महत्तवपूर्ण है जहाँ दो तिहाई किसानों को संसाधनों का आभाव है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली अपने फसल और पण्य वस्तुओं पर आधारित संस्थाओं राष्ट्रीय अनुसंधान प्रबंधन आधारित संस्थाओं और राज्य कृषि विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से फसल विविधिकरण से सम्बंधित समस्याओं का समाधान कर रही है। सरकार ने प्रमुख फसलों और फसलों के समूहों , जैसे तिलहन, और दलहन, में से प्रत्येक के लिए फसल निदेशालय की स्थापना द्वारा प्रति समर्थन तंत्र भी विकसित किया है, जिसमे इन फसलों और पण्य वस्तुओं में से प्रत्येक पर उसके फोकस के रूप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है। ये निदेशालय अनुसंधान और विकास कार्यों तथा संवर्धनात्मक कार्यों सहित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के समन्वयकारी एजेंसी के रूप में कार्य करते है।

कृषि विविधिकरण संवर्धन के लिए रणनीति :- आधुनिक युग में कृषि विविधिता कृषि विकास के लिए महत्तवपूर्ण रणनीति है। कृषि विविधता की प्रक्रिया हरित क्रांति की आपूर्ति चालित प्रक्रिया की तुलना अधिकांशत : मांग चालित है। भारत जैसे देश में विगत की धनि किसान चालित हरित क्रांति की तुलना में भविष्य में कृषि विविधता में छोटी जोतों की अधिक बड़ी भूमिका होगी। निजी क्षेत्र की विशेषकर विपणन और प्रसंस्करण में भी अधिक सहभागिता है। उच्च मूल्य की पण्य वस्तुओं की मांग पूरी करने के लिए कृषि विविधिकरण को प्रोत्साहन संस्थाओं और निवेश की आवश्यकता है। भारत में कृषि विविधता की रणनीति के लिए सुझाव.

1. एकीकृत निति जैसे अनुसंधान, उत्पादन, कटाई बाद, प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन आदि एक ही छत्र के निचे होना चाहिए।
2. कृषि सेक्टर में सार्वजानिक सेक्टर के निवेश का , जिसने पिछली दो दशाब्दियों में मुख्य हास देखा है, पुन: नवीकरण किया जाए।
3. एकीकृत कृषि प्रणाली पर बल दिया जाए, जिसमे सस्योत्पदन, मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन ,कुक्कट पालन,सुवर पालन और बकरी पालन , आदि शामिल है।
4. स्थान विशिष्ठ विवधि कृषक प्रणाली अपनाई जाए।
5. प्रोद्योगिकी और विस्तार सेवाओं द्वारा जल संसाधनों के संरक्षण और दक्षतापूर्वक प्रबंधन के उपाय सहज बनाये जाएँ ।
6. फलों और सब्जियों, पुष्प उत्पादन मत्स्य पालन, बागवानी और पशु पालन, झाड़ के क्षेत्र में खपत की बड़ी सम्भावना का उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए काम में लाया जाए।
7. कटाईपश्च प्रबंधन, भण्डारण और विपणन सुविधाओं पर बल दिया जाए। ये महत्तवपूर्ण क्षेत्र है जिनमे कमजोरियां समाप्त होनी चाहिए।
8. संस्थागत उधार की उपलब्धता का विस्तार किया जाए।
9. कृषि में युवाओं को आकर्षित कर कृषि विविधता को उसकी संभावित ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। इसके लिए निति बनाई जाए तथा पूरी गंभीरता से क्रियान्वित की जाए।
10 . निर्यात समुच्चय विविधता पूर्ण और अवसरों से भरपूर है। कृषि उत्पादों के ऐसे निर्यात पर बल दिया जाए जो बढ़ने वाली कृषि विविधता को यथाविधि प्रोत्साहित कर रही है।

निष्कर्ष एवं सुझाव - चयनित शोध क्षेत्र में कृषि की अभिनव प्रवृत्यों ने महत्तव पूर्ण योगदान दिया है, प्रवृत्यों में जिले की कुल उपलब्ध भूमि तथा प्रयोग किये जाने वाले आधुनीक यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में विधि देखि जाती है क्षेत्र की बढती जनसंख्या के सन्दर्भ में क्षेत्र का उत्पादन कम है, शोध क्षेत्र का कृषि कार्य लगभग पूर्णत: मानसून पर निर्भर रहता है , शोध क्षेत्र में जहाँ एक तरफ नूतन प्रवृत्तियों का उपयोग है वहीँ दूसरी और ग्रामिण क्षेत्रों में जोतो का अकार छोटा पड़ता जा रहा है , जिसके परिणाम स्वरुप व्यावासिक कृषि में बाधा उत्पन्न हो रही है, तथा अधिक उत्पादन करने की जिज्ञासा में भूमि को छारिय भूमि में तब्दील कर दिया है जिसमे सुधार की आवश्यकता है और किसी को उन्नत एवं उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए पूंजी निवेश तथा सरकारी अनुदानों की अति आवश्यकता है जिनकी सहायता से उन्नत मशीनों तकनीकों बीजों, उर्वरकों, आदि की व्यवस्था की जा सके ।

सन्दर्भ सूचि :-

1. कुमार राजेंद्र एवं सिंह गुरुदीप , गंगा नगर व हनुमान गढ़ जिलों में कृषि विकास प्रदेश एक अध्यन , उत्तर प्रदेश भौगोलिक पत्रिका ।

2. पंडा, बी0पी0 एवं वर्मा एल.एन. 2015 जनसँख्या भूगोल म0प्र0 हिंदी ग्रन्थ अकादमी पृ. 214
3. सिंघई जी0सी0 2012 चिकित्सा भूगोल, वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर ।
4. राजपूत, प्रेम प्रकाश एवं श्रीवास्तव रमेश चन्द्र 2003 निम्न स्तरीय आवासीय सुविधाओं से वंचित महिलाओं के स्वस्थ्य पर प्रभाव : दिबियापुर की मलिन बस्तियों का एक प्रतिक अध्ययन उत्तरी भारत ।
5. भूगोल पत्रिका अंक 39 पृ. 68-78 ।
6. कृषि भुगोल माजिद हुसैन।
7. जिला गजेटियर ।
8. जिला सांख्यकी पत्रिका ।